:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांकः सामान्य/क्रय/के.भ./04/2019–20/11531 दिनांकः 31.05.2019

:: ई–निविदा सूचना ::

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए महानिदेशालय कारागार जयपुर के अधीन राज्य की केन्द्रीय/जिला कारागृह एवं इनके अधीनस्थ उप कारागृहों, महिला बंदी सुधारगृह में निरूद्ध बन्दियों की भोजन व्यवस्था हेतु दर अनुबंध किये जाने के लिए ई–बोली आमंत्रित की जाती है।

ई–बोली दिनांक 04/06/2019 को सांयकाल 05.00 बजे से प्रारंभ की जाकर वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजो के साथ ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निम्न समय सारणी अनुसार वैबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जा सकती हैः–

1.	बोली डाउनलोड़ एवं प्रस्तुत करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	04/06/2019 को 5.00 PM से
2.	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	24/06/2019 को 11.00 AM से
3.	बोली प्रतिभूति, बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के डीडी/बीसी जमा कराने की तिथि एवं समय	24/06/2019 1.00 PM तक
4.	तकनीकी बोली खोले जाने की दिनांक व समय	25/06/2019 11.00 PM बजे
5.	निविदा खोलने का स्थान	महानिदेशालय कारागार, घाटगेट जयपुर

बोली प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 1000/– प्रति कारागृह/प्रति बोली एवं बोली प्रतिभूति राशि (अनुसूची "ख" अनुसार) तथा ई–बोली प्रक्रिया शुल्क के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट निर्धारित दिनांक व समय को महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर के कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा कराने होगें।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्ते एवं अन्य विवरण बोली की वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वैबसाईट http:// www.rajprisons.nic.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल वैबसाईट *www.sppp.rajasthan.gov.in* पर देख सकते है।

1.	JLD1920GLOB00018	17.	JLD1920GLOB00034	33.	JLD1920GLOB00050
2.	JLD1920GLOB00019	18.	JLD1920GLOB00035	34.	JLD1920GLOB00051
3.	JLD1920GLOB00020	19.	JLD1920GLOB00036	35.	JLD1920GLOB00052
4.	JLD1920GLOB00021	20.	JLD1920GLOB00037	36.	JLD1920GLOB00053
5.	JLD1920GLOB00022	21.	JLD1920GLOB00038	37.	JLD1920GLOB00054
6.	JLD1920GLOB00023	22.	JLD1920GLOB00039	38.	JLD1920GLOB00055
7.	JLD1920GLOB00024	23.	JLD1920GLOB00040	39.	JLD1920GLOB00056
8.	JLD1920GLOB00025	24.	JLD1920GLOB00041	40.	JLD1920GLOB00057
9.	JLD1920GLOB00026	25.	JLD1920GLOB00042	41.	JLD1920GLOB00058
10.	JLD1920GLOB00027	26.	JLD1920GLOB00043	42.	JLD1920GLOB00059
11.	JLD1920GLOB00028	27.	JLD1920GLOB00044	43.	JLD1920GLOB00060
12.	JLD1920GLOB00029	28.	JLD1920GLOB00045	44.	JLD1920GLOB00061
13.	JLD1920GLOB00030	29.	JLD1920GLOB00046	45.	JLD1920GLOB00062
14.	JLD1920GLOB00031	30.	JLD1920GLOB00047	46.	JLD1920GLOB00063
15.	JLD1920GLOB00032	31.	JLD1920GLOB00048	47.	JLD1920GLOB00064
16.	JLD1920GLOB00033	32.	JLD1920GLOB00049		

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः सामान्य/क्रय/के.भ./04/2019–20/11532–42 दिनांकः 31.05.2019

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव...।
3. नोटिस बोर्ड मुख्यालय/रेंज कार्यालय/मंड़ल कार्यालय (समस्त)।

4. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर को दो प्रतियां विभागीय बैवसाईट पर अपलोड़ करने तथा समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राजस्थान को सूचनार्थ करने हेतु प्रेषित है।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि ई–बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43(6) में विहित प्रावधानानुसार 50,000 प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र तथा वृहत् परिचालन वाले एक अखिल भारतीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 30 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन करावें।
6. प्रभारी अधिकारी भण्ड़ार एवं सदस्य सचिव, उपापन समिति को प्रेषित कर लेख है कि ई–बोली को एसपीपीपी एवं ई–प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल पर अविलम्ब अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

—: बोली की मुख्य शर्ते :—

1. प्रत्येक निविदा कारागृह की बोली हेतु बोली प्रतिभूति राशि (अनुसूची ''ख'' अनुसार), बोली प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 1000/– प्रति निविदा कारागृह/प्रति बोली व प्रोसेसिंग फीस पृथक–पृथक देय होगे एवं प्रत्येक निविदा कारागृह (अनुसूची ''ख'' अनुसार) हेतु पृथक–पृथक बोली प्रस्तुत की जानी होगी।
2. ई–बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि **''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर''** के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में दी जायेगी।
3. ई–बोली के साथ राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड की बोली प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार प्रबंधक निदेशक आर.आई.एस.एल. के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अलग से दी जायेगी।
    1. यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख से कम है –रूपये 500/–प्रति बिडर प्रति बोली
    2. यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख से अधिक है–रूपये 1000/– प्रति बिडर प्रति बोली
4. निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के अलग–अलग बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को ऑन लाईन बोली के साथ स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित दिनांक को निर्धारित समय तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर भौतिक रूप से बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं खाद्य सामग्री के नमूने जमा कराने होंगे। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिंग फीस एवं सैंपल के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटायी जावेगी।
5. क्वालिफाईंग (तकनीकी–वाणिज्यिक) बिड में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की प्राईस बिड (वित्तीय बोली) क्वालीफाईड बिड खुलने की दिनांक से 10 कार्यालय दिवस में खोली जानी संभावित है। नवीनतम जानकारी के लिए उक्त वैबसाईट एवं राज्य सरकार के उपापन पोर्टल को देखा जा सकता है।
6. जो बोलीदाता ई–बोली (E-Tender) में भाग लेना चाहते है सर्वप्रथम उन्हें वैबसाईट पर http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। उसके पश्चात जो बोलीदाता ऑन लाईन बोली में भाग लेना चाहते है, उन्हें सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Act 2000) के तहत डिजीटल सर्टिफिकेट लेना होगा। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए. (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजीटल सर्टिफिकेट ले सकते है। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजीटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजीटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
7. जो बोलीदाता ई–बोली भोजन सामग्री आपूर्ति में भाग लेना चाहते है वे वांछित दस्तावेजों के साथ वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर ऑन लाईन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निर्धारित दिनांक एवं समय तक बोली प्रस्तुत कर सकते है।
8. बोली के साथ बोलीदाता को वैध बिक्रीकर/जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं बिक्रीकर बकाया न होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र (इस संबंध में बोली परिशिष्ट–स की शर्त संख्या 3(ii) देखें), भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानकीकरण अधिनियम 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006 fssai) के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध, अपेक्षित पंजीयन प्रमाण–पत्र/अनुज्ञा पत्र (राशि रूपये 12.00 लाख तक के टर्न ओवर हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र (Certificate of Registration) तथा राशि रूपये 12.00 लाख से अधिक के टर्न ओवर हेतु अनुज्ञा पत्र (लाईसेन्स) की प्रमाणित प्रति ई–बोली के साथ स्कैन कर प्रंस्तुत करने होंगे।
9. समस्त प्रमाण–पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए।
10. दरों की वैधता–प्राईस बिड (वित्तीय बोली) खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।

11. इस बोली की अनुसूची "ख" के अनुसार **निम्नानुसार दरों के अनुरूप दर अनुबन्ध किया जावेगा :–**

	आईटम दर वाले कारागृह
1	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर (महिला बन्दी सुधारगृह अजमेर सहित)
2	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर (महिला बन्दी सुधारगृह भरतपुर सहित)
3	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर (जिला कारागृह बीकानेर एवं महिला बन्दी सुधारगृह बीकानेर सहित)
4	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर
5	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर (महिला बन्दी सुधारगृह जोधपुर सहित)
6	केन्द्रीय कारागृह, कोटा (महिला बन्दी सुधारगृह कोटा सहित)
7	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर (महिला बन्दी सुधारगृह उदयपुर सहित)
8	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर
9	केन्द्रीय कारागृह, अलवर
10	जिला कारागृह, झालावाड
11	जिला कारागृह, टोंक
12	जिला कारागृह, धौलपुर
13	जिला कारागृह, जयपुर
	तथा निम्न कारागृहों हेतु सम्मिलित समुह उप कारागृहों सहित डाईट दर (कच्ची सामग्री ईंधन रहित) दी जानी होगी :– **डाईट दर वाले कारागृह**
14	के.का.अजमेर के अधीनस्थ उप कारागृह, ब्यावर
15	के.का.भरतपुर के अधीनस्थ उप कारागृह, बयाना तथा डीग
16	के.का.बीकानेर के अधीनस्थ उप कारागृह, नोखा
17	के.का.जयपुर के अधीनस्थ उप कारागृह, कोटपुतली तथा सांभरलेक
18	के.का.जेाधपुर के अधीनस्थ उप कारागृह, बीलाडा तथा फलौदी
19	के.का.कोटा के अधीनस्थ उप कारागृह, रामगंजमण्डी तथा सांगौद
20	के.का.उदयपुर के अधीनस्थ उप कारागृह, झाडौल, कानोड, कोटडा, मावली तथा सलूम्बर
21	के.का.श्रीगंगानगर के अधीनस्थ उप कारागृह, श्रीकरणपुर, अनुपगढ, सूरतगढ तथा रायसिंहनगर
22	के.का.अलवर के अधीनस्थ उप कारागृह, बहरोड एवं किशनगढवास
23	जि.का.झालावाड़ के अधीनस्थ उप कारागृह, भवानीमण्डी तथा अकलेरा
24	जि.का.टोंक के अधीनस्थ उप कारागृह, मालपुरा
25	जि.का.बांसवाडा एवं अधीनस्थ उप कारागृह, कुशलगढ
26	जि.का.बांरा एवं अधीनस्थ उप कारागृह, छबडा तथा उप कारागृह, अटरू
27	जि.का.बाडमेर एवं अधीनस्थ उप कारागृह, बालौतरा
28	जि.का.भीलवाडा एवं अधीनस्थ उप कारागृह, गंगापुर, जहाजपुर, माण्डलगढ, गुलाबपुरा तथा शाहपुरा
29	जि.का.बून्दी एवं अधीनस्थ उप कारागृह, नैनवा
30	जि.का.चित्तौडगढ एवं अधीनस्थ उप कारागृह, निम्बैहडा, बैंगू तथा कपासन
31	जि.का.चूरू एवं अधीनस्थ उप कारागृह, राजगढ तथा रतनगढ
32	विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह दौसा एवं अधीनस्थ जि.का.दौसा तथा उप कारागृह, बांदीकुई
33	जि.का.डूॅगरपुर एवं अधीनस्थ उप कारागृह, सांगवाडा
34	जि.का.सवाईमाधौपुर एवं अधीनस्थ उप कारागृह, गंगापुरसिटी

35	जि.का.हनुमानगढ एवं अधीनस्थ उप कारागृह, नोहर एवं भादरा
36	जि.का.जैसलमेर एवं अधीनस्थ उप कारागृह, पोकरण
37	जि.का.जालौर एवं अधीनस्थ उप कारागृह, भीनमाल तथा सांचौर
38	जि.का.झुन्झुनू एवं अधीनस्थ उप कारागृह, खेतडी
39	जि.का.करौली एवं अधीनस्थ उप कारागृह, हिण्डौनसिटी
40	जि.का.नागौर एवं अधीनस्थ उप कारागृह, डीडवाना, मेडतासिटी तथा परबतसर
41	जि.का.पाली एवं अधीनस्थ किशोर बन्दी सुधारगृह जैतारण (पाली), उपकारागृह, जैतारण, बाली तथा सोजतसिटी
42	जि.का. प्रतापगढ एवं अधीनस्थ उप कारागृह, छोटीसादडी
43	जि.का. राजसमंद एवं अधीनस्थ उप कारागृह, भीम
44	जि.का.सीकर एवं अधीनस्थ उप कारागृह, नीमकाथाना एवं फतेहपुर
45	जि.का.सिरोही एवं अधीनस्थ उप कारागृह, आबूरोड
46	उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर
47	महिला बन्दी सुधारगृह जयपुर

12. वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुबंध अवधि तथा पुनरादेश अवधि में यदि किसी भी सामग्री की दरों में वृद्धि होती है तो विभाग द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नही की जावेगी तथा बोलीदाता द्वारा जोड़ी गई कोई भी शर्त मान्य नही होगी।
13. अनुमानित क्रय की मात्रा विभागीय आवश्यकतानुसार घटाई / बढ़ाई जा सकती है।
14. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपह्रत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ मे ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनाधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।
15. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज / प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।
16. विस्तृत शर्तो के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट– अ, ब, स, द एवं अनूसूची क, ख, ग, घ, ड़ एवं च तथा अनुलग्नक– अ, ब, स का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर बाद हस्ताक्षर कर अपलोड़ कर बोली में भाग ले सकते है। उक्त मुख्य शर्तो एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ, ब, स, द एवं अनूसूची क,ख, ग, घ, ड़ एवं च तथा अनुलग्नक–अ, ब, स में उल्लेखित शर्तो के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तो के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई–बोली में उसके आगे के चरण (Stages) को नहीं खोला जावेगा।
17. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय उपापन समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।
18. विभागीय उपापन समिति के निर्णयाानुसार **''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर''** किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकेगें।
19. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर होंगे।

20. अनुमोदित की गई दरें **दिनांक 31.03.2020** तक के लिये विधिमान्य होगी एवं विभाग की आवश्यकता अनुसार, आगामी तीन माह तक अनुबंधित बोलीदाता को इन्हीं दरों पर आपूर्ति करनी होगी बशर्ते कि उक्त अवधि में वस्तुओं/सामग्री की कीमत कम नहीं हुई हो/गिरी न हों।

21. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानकीकरण अधिनियम 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006 fssai) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैद्य अपेक्षित पंजीयन प्रमाण–पत्र/अनुज्ञा पत्र (राशि रूपये 12.00 लाख तक के टर्न ओवर हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र (Certificate of Registration) तथा राशि रूपये 12.00 लाख से अधिक के टर्न ओवर हेतु अनुज्ञा पत्र (लाईसेन्स) होना चाहिए। उपरोक्त पंजीयन प्रमाण पत्र/अनुज्ञा पत्र बोली प्रस्तुत करने की दिनांक को वैध होना चाहिये। यदि अनुबन्ध अवधि के दौरान वैधता समाप्त हो रही हो तो संबंधित फर्म को समय रहते इसका नवीनीकरण कराना होगा।

22. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान यथा आवश्यकतानुसार लागू होगें।

23. खाद्य सामग्री की अनुमानित मात्रा में कमी/वृद्धि संभव है। वास्तवित मात्रा के अनुसार ही भुगतान बजट उपलब्धता पर किया जावेगा।

24. वित्तीय बोली (Price Bid) प्रपत्र संलग्न है, जो निर्धारित BOQ में दिया जावें। इसे तकनीकी बोली के साथ संलग्न नही किया जावें।

25. आईटम दर हेतु पृथक BOQ एवं डाईट दर हेतु पृथक BOQ बोलीदाता को भरने होगें।

26. बोलीदाता सम्पूर्ण निविदा/बोली का ध्यानपूर्वक अध्ययन/पठन करने के बाद ही ई–बोली भरी जावें।

27. जिन कारागृहों के लिए डाईट दरें आमंत्रित की जा रही हैं, उनके संबंध में चाहे गये समस्त आईटमों की दरें बोलीदाता द्वारा भरी जाना अनिवार्य है। डाईट दर BOQ के अंतर्गत यदि किसी बोलीदाता द्वारा समस्त आईटमों हेतु बोली नही दिये जाने पर, उस/उन आईटम की प्राप्त न्यूनतम दर पर आपूर्ति दी जानी होगी अन्यथा बोली प्रतिभूति राशि को जब्त करते हुए बोली निरस्त कर दी जावेगी।

28. ई–बोली दो बिड़ प्रणाली के तहत् आमंत्रित की जा रही है यथा तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली। प्रथमतय समस्त बोली प्रतिभूति राशि को खोला जाकर तकनीकी बोली को खोला जावेगा एवं स्पेसिफिकेशन, नियम व शर्तो तथा योग्यता मापदण्ड़ो के अनुसार मूल्यांकन किया जावेगा। तकनीकी बोली में योग्य/सफल पाये गये बोलीदाताओं की वित्तीय बोली (Price Bid) खोली जावेगी।

29. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता हैः–

    1. महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर
       दूरभाष नं. 0141–2601047 ई–मेल generaljhq@gmail.com
    2. उप अधीक्षक, भण्ड़ार, मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
       दूरभाष नं. 0141–2609202 ई–मेल generaljhq@gmail.com

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

अनुसूची "क"

विवरण (बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावें)

1.	कारागृह अनुसूची "ख" के अनुसार कारागृह समूह का नाम जिसके लिए बोली प्रस्तुत की है।	
2.	**अनुसूची "ख" के अनुसार निविदा कारागृह की क्रम संख्या**	
3.	बोलीदाता फर्म का नाम	
	पता	
	दूरभाष संख्या व ई–मेल का पता	
4.	फर्म की पंजीकरण क्रमांक जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक (प्रति स्केन कर संलग्न की जावे)	
5.	बिक्रीकर बकाया नहीं होने संबंधी कोई प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र (संलग्न किया जावे)	
6.	बोली प्रतिभूति राशि का विवरण (ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक क्रमांक, बैंक का नाम एवं राशि)	
6.	बोली प्रक्रिया शुल्क का विवरण ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/रसीद संख्या (संलग्न की जावे)	
7.	बोली प्रपत्र शुल्क का विवरण ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/रसीद संख्या (संलग्न की जावे)	
8.	भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानकीकरण अधिनियम 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006 fssai) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध पंजीयन प्रमाण पत्र/अनुज्ञा पत्र (लाइसेन्स) संख्या व दिनांक (छायाप्रति संलग्न की जावे)	

(उक्त सभी कॉलमों की पूर्ति आवश्यक रूप से हस्ताक्षर उपरान्त स्केन कर **"तकनीकी निविदा"** हेतु आवश्यक रूप से अपलोड करे)

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम फर्म

पता :–

कार्यालय महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट, जयपुर
परिशिष्ट ''अ''
(तकनीकी बोली प्रपत्र–क्वालीफाईंग बिड)

1. केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह.. जो कि निविदा की **अनुसूची "ख"** की निविदा क्रम संख्या .... पर अंकित है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये खाद्य व्यवस्था हेतु दर अनुबंध बाबत ई–बोली।
2. ई–बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता, ई–मेल का पता एवं दूरभाष संख्या–––
3. संदर्भः ई–बोली आमंत्रण सूचना संख्याः सामान्य/के.भ./क्रय/01/2019–20/ दिनांक ....
4. मैं/हम महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई ई–बोली आमंत्रण सूचना संख्या सामान्य/के.भ./क्रय/01/2019–20/..............................दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न प्रपत्र/प्रारूपों (उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने **परिशिष्ट "द"** पर हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त बोली आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
5. जिन कारागृहों के लिए आईटमवार दरें आमंत्रित की जा रही है वहॉ कारागृह द्वारा मांग पत्र जारी किये जाने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में माल सुपुर्दगी करने एवं शेष अन्य कारागृहों तथा इनके साथ सम्मिलित इनके अधीनस्थ उप कारागृहों में, जहॉ डाइट दर आमंत्रित की जा रही है, वहॉ प्रतिदिन मांग पत्र प्राप्ति पर अगले दिन सामग्री की आपूर्ति संबंधित **समस्त कारागृहों पर FOR** करने बाबत् सहमति देते हैं।
6. फर्म के स्वामियों/भागीदारों के नाम व स्थायी पते की सूची संलग्न है। (केवल फर्म की स्थिति में)।
7. अनुमोदित की गई दरें दिनांक 31.03.2020 तक के लिये विधिमान्य होगी एवं विभाग की आवश्यकता अनुसार, आगामी तीन माह तक अनुबंधित बोलीदाता को इन्हीं दरों पर आपूर्ति करनी होगी बशर्ते कि उक्त अवधि में वस्तुओं/सामग्री की कीमत कम नहीं हुई हों/गिरी न हों।
8. बोली प्रतिभूति राशि के पेटे बैंक डिमाण्ड् ड्राफ्ट/चैक संख्या –––––––––––––दिनांक ––––––––––जो (बैंक का नाम)––––––––––––––––––––––––– पर आहरित किया गया है।
9. इसके साथ वांछित GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र एवं बिक्री कर/वैट पंजीयन एवं चुकता प्रमाण–पत्र अथवा बिक्रीकर बकाया नहीं होने संबंधी कोई प्रमाण अथवा शपथ–पत्र प्रस्तुत है।
10. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानकीकरण अधिनियम 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006 fssai) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैद्य पंजीयन प्रमाण–पत्र/अनुज्ञा पत्र की प्रति संलग्न है।
11. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र (परिशिष्ट ''द'') भी संलग्न है।
12. अनुसूची ''क'' की पूर्ति कर इसके साथ संलग्न कर दी गई है।
13. सामग्री खाद्य मानकों के अनुरूप आपूर्ति करनी होगी। खाद्य सामग्री की जॉच विभागीय अधिकारियों द्वारा किसी भी समय की जा सकेगी, सामग्री मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर बोलीदाता की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जब्त की जाकर, बोलीदाता की रिस्क एण्ड् कोस्ट पर क्रय कार्यवाही कर अंतर राशि उसके किसी भी जेल पर बकाया भुगतान में से समायोजित कर ली जावेगी एवं उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम ....

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट ''ब''

(वित्तीय/मूल्य बोली प्रपत्र–प्राईस बिड ''आइटम दर'' वाले कारागृहों हेतु)

बोली आमंत्रण क्रमांकः दिनांकः–

1. केन्द्रीय/जिला कारागृह/उप कारागृह ------------------- जो कि निविदा की **अनुसूची ''ख''** की निविदा क्रम संख्या .... पर अंकित है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में बंदियों के लिये खाद्य व्यवस्था हेतु बोली।
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता एवं दूरभाष संख्या
   नाम--पता------------------------------

   दूरभाष संख्या -------------------- ई–मेल ------------------------------
3. संदर्भः–ई–बोली आमंत्रण सूचना सामान्य/के.भ./क्रय/01/2019–20/------------ दिनांक----------

(अ) आइटम दर के लिये।

(समस्त केन्द्रीय कारागृह एवं जिला कारागृह, टोंक, धौलपुर, झालावाड़, जयपुर के लिए)

विवरण	दर अंकों में (रू.में प्रति किलोग्राम /प्रति लीटर	दर शब्दों में (रू. में प्रति किलोग्राम/प्रति लीटर)
गेंहूँ (1482 मशीन कट)	**BOQ में दरें भरी जावें**	
दालः – (1) मूंग दाल छिलकादार (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन)		
(2) उड़द दाल छिलकादार (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन)		
(3) मोठ की दाल छिलकादार (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन)		
(4) अरहर दाल (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन)		
(5) चना की दाल (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन)		
(6) मसूर दाल (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन)		
तेल–खाद्य–सोयाबीन (चंबल/फोरच्यून/परम्परा)		
चीनी – दानेदार एम–31		
गुड		
चाय–(टाटा/एवन/ताजा/लाल घोडा– काला घोडा)		
नाश्ता सामग्री– (1) थूली (दलिया गेंहूँ) (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन)		
(2) पोहा (टंच/गोविन्द/मोम्स च्वाईस/लहर)		
(3) चना साबुत (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन)		
(4) मूंग साबुत (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन)		
(5) काला चना साबुत (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन)		

नमक–आयोडाइज्ड (टाटा / निरमा / सूर्या / भास्कर)	BOQ में दरें भरी जावें
हरी सब्जी– ऋतु वर्गीकरण अनुसार	
मसाले एगमार्क–(1) हल्दी साबुत सांगली	
(2) धनिया साबुत (ईगल / स्कूटर / सिंगल पैरेट / डबल पैरेट)	
(3) लाल मिर्च साबुत (देशी)	
(4) लहसुन सूखा	
(5) जीरा (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन)	
(6) राई (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन)	
बेसन (कढ़ी हेतु) (लकड़ाजी / लक्ष्मी भोग) एगमार्क	
छाछ (कढ़ी हेतु)	
हरी मिर्च (नाश्ता छौक हेतु)	
प्याज (नास्ता छौक हेतु)	
चटनी–(1) हरा धनिया	
(2) हरा पोदीना	
वनस्पति घी–(अशोका / स्कूटर / गगन)	
चावल साबुत परमल (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन)	
खोपरा बुरादा	
साबुदाना	
खोपरा	
दूध (सरस / अमूल / लोट्स) थैली पैक	

1. जिन कारागृहों पर दूध की आपूर्ति डेयरी द्वारा तय दरों पर की जाती है वहॉ दूध की दरें स्वीकृत नही की जायेगी। शेष अन्य कारागृहों पर जहॉ डेयरी उपलब्ध नही है वहॉ के लिए दूध की दरें स्वीकृत की जावेगी।
2. उक्त दरें समस्त करों व अन्य व्ययों को शामिल करते हुये प्रस्तुत की जावे।
3. दूध, छाछ एवं तेल की दरें "प्रति लीटर" में एवं अन्य सभी सामग्री की दरें "प्रति किलोग्राम" में मापी जायेगी।
4. उक्त सामग्री में किसी प्रकार की मिलावट नही होनी चाहिए। Food and Civil Supplies Department के द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा। किसी भी प्रकार की मिलावट या निम्न स्तर की सामग्री (adulteration) पाये जाने पर फर्म के विरूद्ध सर्वप्रथम टेण्ड़र निरस्त कर ब्लैक लिस्टेड़ करने की कार्यवाही की जावेगी।
5. उपरोक्त समस्त खाद्य सामग्री में आवश्यकतानुसार मात्रा एव वस्तु विशेष में परिवर्तन किया जा सकता है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम फर्म ....

....

वित्तीय/मूल्य बोली प्रपत्र–प्राईज बिड

परिशिष्ट "ब" डाईट दर वाले कारागृह

निविदा के अनुसार कारागृह का नाम ....

(निविदा प्रपत्र की **अनुसूची "ख"** के क्रमांक ....पर अंकित है।)

(जिसके लिए बोली प्रस्तुत की गई है।)

(ब) डाईट दर

विवरण	इकाई	दर अंकों में रू.में	दर शब्दों में रू.में
श्रमिक/अश्रमिक डाइट	प्रति बंदी प्रतिदिन	**BOQ में दरें भरी जावें**	
दूध गर्म मय मीठा	प्रति लीटर		
स्पेशल डाइट	प्रति डाइट प्रति बंदी		
बच्चों की डाइट	प्रति डाइट प्रति बच्चा		

1. **बोलीदाता को डाईट मूल्य बोली की समस्त डाईटों एवं दूध की दरें अंकित करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम श्रमिक/अश्रमिक डाईट दर वाले बोलीदाता को अन्य डाईटों/दूध गर्म मय मीठा हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।**
2. बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट "ब" (आईटम दर) में दर्शायी गई खाद्य सामग्री के स्पेसिफिकेशन/एगमार्क/अन्य विवरणानुसार डाईट दरों में भी खाद्य सामग्री आपूर्ति की जानी होगी।
3. डाइट दर अनुसूची "ग" व "च" में वर्णित डाइट स्केल के आधार पर निर्धारित की जावे एवं महिला बन्दियों के साथ रह रहे बच्चों के लिए अनुसूची "ङ" में वर्णित डाइट स्केल के आधार पर निर्धारित की जावें। डाइट में सुबह व शाम दोनों समय की चाय, नाश्ता भी शामिल है। **डाइट दरें ईंधन रहित दी जानी है।**
4. उक्त दरें समस्त करों व अन्य व्ययों को शामिल करते हुये प्रस्तुत की जावे।
5. अनुसूची "घ" के अनुसार हरी सब्जी के लिये वर्ष भर के लिये एक ही दर दी जावे।
6. विभाग न्यूनतम दर को अनुमोदित करने के लिये बाध्य नहीं होगा।
7. सशर्त दर या बोली को प्रथमदृष्ट्या रद्द कर दिया जावेगा।
8. प्रदाय किया जाने वाला सामान संबंधित **जेल गोदाम पर** नियत कमेटी से पारित कराकर देना होगा। खराब होने की स्थिति में नमूना भी लिया जा सकता है जिस पर बोलीदाता को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये व नमूने पर हस्ताक्षर भी करने होंगे।
9. जहां आइटम दर के आधार पर आपूर्ति दी जानी होगी वहां आपूर्ति लेने का समय कार्य दिवसों को प्रातः 11.00 बजे होगा। डाइट दर की स्थिति में कारागृह पर जेल नियमों के अनुसार आपूर्ति प्रतिदिन देनी होगी तथा जिस कारागृह हेतु मांग पत्र जारी किया गया है, उस संबंधित कारागृह पर ही आपूर्ति FOR करनी होगी। यदि उक्तानुसार सामग्री के प्रदाय हेतु तय समय में विलंब होता है तो प्रदायक को सूचित किये बिना रिस्क परचेज की कार्यवाही की जा सकेगी तथा अधिक हुये व्यय को प्रदायक से वसूला जायेगा।

10. बन्दी राशन आपूर्ति निर्धारित स्पेसिफिकेशन/ब्रॉण्डेड/एगमार्क की होगी। सामग्री आपूति के समय उक्त ब्रॉण्डेड/एगमार्क सामग्री के डीलर/वितरक द्वारा प्रमाणीकरण **"कि उक्त ब्रॉण्डेड/एगमार्क सामग्री का विक्रय मेरे द्वारा किया गया है"** कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ताकि ब्रॉण्डेड/एगमार्ग सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

11. डाइट दर के आधार पर जिन कारागृहों एवं उसके साथ सम्मिलित अधीनस्थ कारागृहों पर आपूर्ति दी जानी है वहां प्रदायक को किसी भी प्रकार की स्टोर सुविधा नहीं दी जायेगी तथा कोई अतिरिक्त परिवहन लागत अथवा शुल्क देय नहीं होगा।

12. आपूर्ति कर्ता या उसके प्रतिनिधि को कारागृह पर किसी अवांछित कार्यवाही में लिप्त पाये जाने अथवा आपूर्ति सामग्री में प्रतिबंधित वस्तु के पाये जाने पर उसे काली सूची (Black Listed) में ड़ालने की कार्यवाही की जा सकती है तथा इस दुष्कृत्य के लिए विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

13. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानकीकरण अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006 fssai) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैद्य अपेक्षित पंजीयन प्रमाण–पत्र/अनुज्ञा पत्र (राशि रूपये 12.00 लाख तक के टर्न ओवर हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र (Certificate of Registration) तथा राशि रूपये 12.00 लाख से अधिक के टर्न ओवर हेतु अनुज्ञा पत्र (लाईसेन्स) संख्या व दिनांक (छायाप्रति संलग्न है)।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम फर्म ....

महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट, जयपुर

परिशिष्ट–"स"

ई–बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्ते

नोटः– बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिये तथा ऑन लाईन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वैबसाईट पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. **बोली भरने की प्रक्रियाः**– बोली सूचना में दी गई मुख्य शर्तो में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है
2. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नही किया जाएगा।
   (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नही हो जाते एवं "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबकों बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
3. **बिक्रीकर/जी.एस.टी. पंजीयन एवं बिक्रीकर ना बकाया प्रमाण–पत्र/शपथ पत्र** :–
   (i) कोई भी बोलीदाता जो अपने व्यवसाय स्थल के राज्य में प्रचलित बिक्रीकर/जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नही है, वह बोली नही दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण–पत्र की प्रति स्कैन कर प्रस्तुत करना होगा।
   (ii) बोलीदाता को बिक्रीकर बकाया न होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा।
4. बोलीदाता बोली एवं बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप **परिशिष्ट "द"** को डाऊनलोड करने के बाद अपने हस्ताक्षर उपरान्त ई– बोली के साथ प्रस्तुत करें। यदि बोलीदाता द्वारा उक्तानुसार बोली की मुख्य एवं सामान्य शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप **परिशिष्ट "द"** को स्कैन करके प्रस्तुत नहीं किया गया है तो बोली निरस्त कर दी जावेगी।
5. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है तो वह उस वित्तीय वर्ष से आगामी तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलीयों में भाग लेने के लिए विवर्जित किया जा सकता है।
6. **दरें :**
   (i) बोली में दरे शब्दो एवं अंको दोनो रूप में लिखी जावेंगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नही होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए ।
   (ii) बोली मूल्याकंन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :–
      (क) ईकाई मूल्य (Unite Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा। अर्थात ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। जब तक कि बोली मूल्याकंन समिति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है, ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।
      (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।
      (ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो।

ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन न रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

(iii) बोली में दरें समस्त प्रकार के कर एवं प्रभार यथा जी.एस.टी., परिवहन, पैंकिंग चार्ज आदि आदि सम्मिलित करते हुये अंकित की जावे। अस्पष्ट वाक्य, जैसे "टैक्स पैड" "कर सहित" "एज एप्लीकेबल" का प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करे। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(iv) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।

(v) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नही होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नही दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दी जावेगी।

(vi) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल उच्च क्वालिटी का पाये जाने पर यथाशीघ्र बजट उपलब्धता पर भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नही की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।

(vii) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नही दी गई दरें अमान्य होगीं व बोली निरस्त की जा सकेगी ।

(viii) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

(ix) बोलीदाता द्वारा बोली आमंत्रण में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली आमंत्रण में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नही होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(x) किसी आईटम की विभिन्न साईज है तो प्राईस बिड में सभी साईज की एक ही दर अंकित की जावे। यदि विभिन्न साईज की अलग–अलग दरें अंकित की जावेगी तो उसकी बोली अमान्य की जावेगी।

(xi) सामग्री मांग पत्र अनुसार संबंधित कारागृहों एवं उनके अधीनस्थ कारागृहों पर FOR आपूर्ति करनी होगी, इसके लिए अतिरिक्त परिवहन लागत या शूल्क देय नहीं होगा।

7. **<u>बोलियों का वित्तीय मूल्याकंन :–</u>**

(i) राजस्थान के भीतर स्थित फर्मो को नियमानुसार क्रय अधिमानता दी जावेगी।

(ii) न्यूनतम कीमत एवं सर्वाधिक लाभप्रद वाली बोली को न्यूनतम बोली (L-1) माना जावेगा।

8. **<u>बातचीत (Negotiation) :–</u>**

(i) जहॉ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं की जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :–

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (RingPrice) दी गई हो या

(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

(ii) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्याकंन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

9. **<u>बोली की विधि मान्यताः–</u>**

दरों की वैद्यता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

10. अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की क्वालिटी, मात्रा आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है । यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

11. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।

12. **स्पेसिफिकेशनः—**

(i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुए बोली एवं बोली शर्तो से संबंधित परिशिष्ट में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी। ऐसे मामलो मे जहाँ कोई स्टैण्डर्ड या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति–उत्तम गुणवता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओ की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर'' का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एंव मान्य होगा।

(ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुऐ निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी तथा बोलीदाताओं को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा ।

(iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाताओं द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 योम के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूली जावेगी। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 योम पश्चात बोलीदाताओ द्वारा विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।

13. **निरीक्षण एवं परीक्षण** :–

(i) (A) ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर'' या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर सप्लायर के परिसर में जा सकेगा तथा वह संबंधित वस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात जैसा भी निश्चित किया जाऐगा, माल/आइटम सामग्री का निरीक्षण एवं जांच कर सकेगा ।

(ii) बोलीदाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम, वर्कशाप का पूर्ण पता देगा जहां सप्लाई होने वाले माल का निरीक्षण किया जा सके तथा उन व्यक्तियो के नाम व पते देगा जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जावे।

(iii) सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है या नही। जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओ/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहो में करवाया जावेगा तथा परीक्षण पर यदि सामान उच्च क्वालिटी के स्तर के अनुरूप पाया जाऐगा तो उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

(iv) परीक्षण प्रभारः– बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जा सकेगा, उसके परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया समान विहित स्तर या क्वालिटी के अनुसार नही है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे।

(v) निरीक्षण प्रभारः– विभाग द्वारा जिन वस्तुओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहो से निरीक्षण (Inspection) उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी,, उन वस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहो में जमा कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी

(vi) रद्द करना (Rejection):– निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुऐ अनुमोदित नहीं की जाऐगी उन्हे रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हे बदला जावेगा ।

(vii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible)नही समझा जावे तो विभागीय क्रय समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटोती कर सकेंगें। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी ।

(viii) आपूर्ति किया गया माल/आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरूद्व विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा ।

14. **माल की सप्लाई** :–

(i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति मे उनमे कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले मे हुई हानि एंव कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उतरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी।

(ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसीफिकेशन के अनुसार नही की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते है।

(iii) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुडस ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाडा एवं अन्य प्रभार आदि चुका मांग पत्र के अनुसार कारागृह एवं कारागृह के साथ सम्मिलित समूह कारागृह पर FOR दी जावेगी ।

15. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

16. **सुपुर्दगी अवधि (Delivery Period)**

(i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह बोली आमंत्रण में अंकित परिशिष्ट "अ" की शर्त संख्या 5 के अनुसार सप्लाई करेगा।

(ii) फर्म निर्धारित समयावधि में निर्धारित मात्रा के अनुसार आपूर्ति करने में असफल रहती है तो प्रकरण उपापन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। यदि फर्म निर्धारित समयावधि में आंशिक सामान सप्लाई नहीं करती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढवाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढवाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। गुणावगुण के आधार पर घटित बाधाओं से संतुष्ट होने पर उपापन संस्था द्वारा सप्लाई अवधि बढाने या नहीं बढाने का निर्णय लिया जावेगा।

17. **माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्धि एवं पुनरादेश (Repeat Order)**

(i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम अप्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(ii) अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (RepeatOrders), संविदा में दी गई दरों और शर्तो पर दिये जा सकेंगे। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(iii) यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सामान की सप्लाई की व्यवस्था अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आऐगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

18. **संविदा के अधिनिर्णय (AwardofContract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन**:–सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त (क्रय) की जावेगी जिसकी बोली (बोली) स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वूपर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

19. **बोली प्रतिभूति (Bid Security) राशि :–**

(i) बोली के साथ अनुमानित क्रय मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रूपये की बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जावेगी। इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) बोली प्रतिभूति राशि ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर'' के नाम से निम्न रूप में दी जायेगीः–

(अ) नकद रसीद द्वारा या

(ब) नकद– शीर्ष ''8443'' सिविल निक्षेप– 103– प्रतिभूति निक्षेप'' के अन्तर्गत ई–ग्रास चालान से जमा कराई जा सकती है । या

(स) शिडयूल्ड बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक के द्वारा जमा कराई जावेगी ।

(iii) **बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय** (Refund of Bid security):–असफल बोलीदाता/बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि, बोली पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के बाद, यथाशीघ्र लौटाई जाऐगी।

(iv) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि को नई बोलियों के लिए बोली प्रतिभूति राशि के विरूद्व समायोजित नहीं किया जाऐगा। तथापि मूल रूप से जमा कराई गई बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है। बोली प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।

(v) सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति लौटा दी जावेगी।

(vi) **बोली प्रतिभूति का समपहरण** (Forfeiture of Bid Security):– बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) कर लिया जाऐगा :–

(क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है ।

(ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है ।

(ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है ।

(घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता है।

(ड़) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

20. **करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :–**

(अ) बोली आमंत्रण में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम की पाँच प्रतिशत राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में संबंधित प्रभारी, कारागृह पर जमा करानी होगी एवं उक्त रकम के 0.25 प्रतिशत **(अधिकतम राशि रूपये 15,000/–)** के बराबर राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र संबंधित कारागृह प्रभारी (अधीक्षक/उपाधीक्षक कारागृह) के साथ निष्पादित करना होगा। करार पत्र निर्धारित प्रारूप में नियत अवधि में निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है।

(i) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

(ii) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि ''संबंधित कारागृह प्रभारी'' के नाम से निम्न में से किसी रूप में प्रस्तुत की जा सकेगीः–

(क) '' ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा ''

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत निमयों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियॉ। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(ड़) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।

(च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य निष्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

नोटः—अनुबंध पत्र के साथ एन.एस.सी./पासबुक/डिफेंस बचत पत्र/किसान विकास पत्र आदि Pledgeकी हुई प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(iii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्व कोई देय बकाया (Outstandingdues) नहीं है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाऐगा ।

(क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर ।

(ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर ।

(iv) <u>**कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण**</u> (Forfeitureof Work Performance Security Deposit):— सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जाऐगाः—

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लधंन किया गया हो ।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो

(ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो । सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाऐगा । इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

(v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counterfoil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाऐगी ।

(vi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाऐगेः—

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (PartnrershipDeed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता,टेलिफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र

(vi) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये।

21. <u>भुगतानः</u>—

(i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गऐ माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाऐगा ।

(ii) माल के भुगतान करने पर किये गऐ प्रेषण प्रभार (RemittanceCharges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जावेगे।

(iii) विवादस्पद आईटम के संबंध में 10% से 25%तक राशि रोकी जाऐगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा।

(iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाऐगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाऐगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होगे।

(v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाऐगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा।

(vi) **परिनिर्धारित क्षति** (Liquidated Damages):–

परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा है:–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए – 2.5%

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक – 5%
किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु – 7.5%
विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए– 10%

(ड़) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

(छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

नोट : प्रदायगी अवधि के अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नही की जावेगी।

22. **वसूलियॉ**:–परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द की गयी वस्तुओ के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (LiquidatedDamages) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाऐगी।

23. बोलीदाताओ को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए अपनी स्वंय की व्यवस्था करनी होगी।

24. बोली शर्तो के अतिरिक्त कोई शर्ते स्वीकार नही की जावेगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाऐगा । किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तो को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाऐगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।

25. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली आमंत्रण में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

26. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाऐगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाऐगी।

27. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये है, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वींकार्य होंगे।

28. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिया चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणिंत की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि / प्रतिलिपियां मान्य नही होगी।

29. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज / प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैद्य होने चाहिए।

30. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो पुनः वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट "द"

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

(निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप तथा बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता/अधिकृत डीलर एवं सप्लायर)

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन आईटम के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (सूक्ष्म/लघु)/अधिकृत डीलर/सद्भावी सप्लायर हूँ/हैं।
2. मेरे द्वारा निविदा के साथ संलग्न समस्त निविदा शर्तों एवं निविदा के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ, ब, स एवं ई तथा ई–बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना एवं मुख्य शर्तो को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते है तथा समस्त निविदा की शर्तों की पालना हेतु बाध्य है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकारा करने के प्रमाण स्वरूप)

नाम ....

नाम फर्म ....

....

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
   a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
   b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
   d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
   f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

अनुलग्नक 'ब'

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ………………….. for procurement of …………………… in response to their Notice Inviting Bids No…………… Dated …………… I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date : Signature of bidder

Place : Name :

Designation :

Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is DG & IG Prisons, Rajasthan, Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretary/Principle Secretary, Home Department, Secretariate Rajasthan, Jaipur

(1) Filling an appeal
If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases
No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-
  (a) Determination of need of procurement.
  (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
  (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
  (d) Cancellation of a procurement process.
  (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal
  (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
  (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
  (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

(i) hear all the parties to appeal present before him: and

(ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No...........of..............

Before the ....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal
   :...
   ....
   ....
   .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer
   :...
   ....
   ....
   ....
   ....

Place ....
Date ....

Appellant's Signature

अनुसूची–"ख"

कारागृहों की सूची

(अनुमानित श्रमिक एवं अश्रमिक बन्दी संख्या, समस्त भोजन सामग्रियों की अनुमानित कुल खरीद राशि एवं बोली प्रतिभूति राशि) वर्ष 2019–20

निविदा क्रम संख्या	निविदा कारागृह का नाम (दर अनुबन्ध हेतु कारागृह समूह)	बन्दी संख्या	दर संविदा का प्रकार	समस्त सामग्रियों की अनुमानित कुल खरीद राशि रू.	बोली प्रतिभूति 2% राशि रू.
1	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर (ब.संख्या 1087) महिला बन्दी सुधारगृह अजमेर (बं. संख्या 35) सहित	1122	आईटम दर	14333550	286671
2	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर (बं. संख्या 741) महिला बन्दी सुधारगृह भरतपुर (बं. संख्या 32) सहित	773	आईटम दर	9875075	197502
3	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर (ब.संख्या 670), जिला कारागृह, बीकानेर (ब.संख्या 458) एवं महिला बंदी सुधारगृह बीकानेर (ब.संख्या 40) सहित	1168	आईटम दर	14921200	298424
4	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर (ब.संख्या 1539) हेतु	1539	आईटम दर	19660725	393215
5	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर (ब.संख्या 1282) महिला बन्दी सुधारगृह जोधपुर (ब. संख्या 64) सहित	1346	आईटम दर	17195150	343903
6	केन्द्रीय कारागृह, कोटा (ब. संख्या 1481) महिला बन्दी सुधारगृह कोटा (ब. संख्या 35) सहित	1516	आईटम दर	19366900	387338
7	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर (ब. संख्या 1200) महिला बन्दी सुधारगृह उदयपुर (ब. संख्या 35) सहित	1235	आईटम दर	15777125	315543
8	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर हेतु	520	आईटम दर	6643000	132860
9	केन्द्रीय कारागृह, अलवर हेतु	840	आईटम दर	10731000	214620
10	जिला कारागृह, झालावाड हेतु	449	आईटम दर	5735975	114720
11	जिला कारागृह, टोंक हेतु	286	आईटम दर	3653650	73073
12	जिला कारागृह, धोलपुर हेतु	301	आईटम दर	3845275	76906
13	जिला कारागृह, जयपुर हेतु	398	आईटम दर	5084450	101689
14	के.का. अजमेर के अधीनस्थ उप कारागृह, ब्यावर (ब.संख्या 93) हेतु	93	डाईट दर	1527525	30551
15	के.का. भरतपुर के अधीनस्थ उप कारागृह, बयाना (ब.संख्या 91) तथा डीग (ब.संख्या 120) हेतु	211	डाईट दर	3465675	69314

16	के.का.बीकानेर के अधीनस्थ उप कारागृह, नोखा (ब.संख्या 10) हेतु	15	डाईट दर	246375	4928
17	के.का. जयपुर के अधीनस्थ उप कारागृह, कोटपुतली (ब.संख्या 116) तथा सांभरलेक (ब.संख्या 85) हेतु	201	डाईट दर	3301425	66029
18	के.का.जोधपुर के अधीनस्थ उप कारागृह, बिलाडा (ब.संख्या 45) तथा फलौदी (ब. संख्या 35) हेतु	80	डाईट दर	1314000	26280
19	के.का. कोटा के अधीनस्थ उप कारागृह, रामगंजमण्डी (ब.संख्या 61) तथा सांगौद (ब. संख्या 16) हेतु	77	डाईट दर	1264725	25295
20	के.का. उदयपुर के अधीनस्थ उप कारागृह, झाडौल(ब.संख्या 7),कानौड (ब.संख्या 11), कोटडा (ब.संख्या 16), मावली (ब.संख्या 35) तथा सलूम्बर (ब.संख्या 85) हेतु	154	डाईट दर	2529450	50589
21	के.का. श्रीगंगानगर के अधीनस्थ उप कारागृह, श्रीकरणपुर (ब.संख्या 44), अनुपगढ (ब.संख्या 94), सूरतगढ (ब.संख्या 53) तथा रायसिंहनगर (ब.संख्या 40) हेतु	231	डाईट दर	3794175	75884
22	के.का. अलवर के अधीनस्थ उप कारागृह, बहरोड (ब.संख्या 57) एवं किशनगढवास (ब. संख्या 166) हेतु	223	डाईट दर	3662775	73256
23	जि.का. झालावाड़ के अधीनस्थ उप कारागृह, भवानीमण्डी (ब.संख्या 27) तथा अकलेरा (ब. संख्या 5) हेतु	32	डाईट दर	525600	10512
24	जि.का. टोंक के अधीनस्थ उप कारागृह, मालपुरा (ब.संख्या 27) हेतु	27	डाईट दर	443475	8870
25	जि.का.बांसवाडा (ब.संख्या 258) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, कुशलगढ (ब.संख्या 26) हेतु	284	डाईट दर	4664700	93294
26	जि.का. बांरा (ब.संख्या 316) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, छबडा (ब.संख्या 94) तथा उप कारागृह, अटरू (ब.संख्या 45) हेतु	455	डाईट दर	7473375	149468
27	जि.का. बाडमेर (ब.संख्या 171) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, बालोतरा (ब.संख्या 97) हेतु	268	डाईट दर	4401900	88038
28	जि.का. भीलवाडा (ब.संख्या 326) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, गंगापुर (ब.संख्या 27), जहाजपुर (ब.संख्या 23), माण्डलगढ (ब.संख्या 44), गुलाबपुरा (ब.संख्या 45) तथा शाहपुरा (ब.संख्या 24) हेतु	489	डाईट दर	8031825	160637
29	जि.का. बून्दी (ब.संख्या 269) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, नैनवा (ब.संख्या 22) हेतु	291	डाईट दर	4779675	95594
30	जि.का. चित्तौडगढ (ब.संख्या 388) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, निम्बाहेड़ा (ब.संख्या 73), बैंगू (ब.संख्या 59) तथा कपासन (ब. संख्या 32) हेतु	552	डाईट दर	9066600	181332

31	जि.का.चूरू (ब.संख्या 221) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, राजगढ(ब.संख्या 75)तथा रतनगढ (ब.संख्या 33) हेतु	329	डाईट दर	5403825	108077
32	विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, दौसा (ब. संख्या–500) एवं अधीनस्थ जिला कारागृह, दौसा (ब.संख्या 206) तथा उप कारागृह, बांदीकुई (ब.संख्या 47) हेतु	753	डाईट दर	12368025	247361
33	जिला कारागृह,डूँगरपुर(ब.संख्या 148) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, सांगवाडा (ब.संख्या 122)हेतु	270	डाईट दर	4434750	88695
34	जि.का.,सवाईमाधोपुर (ब.संख्या 60) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, गंगापुरसिटी (ब. संख्या 68) हेतु	128	डाईट दर	2102400	42048
35	जि.का.हनुमानगढ (ब.संख्या 388) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, नोहर(ब.संख्या 93) एवं भादरा (ब.संख्या 31) हेतु	512	डाईट दर	8409600	168192
36	जिला कारागृह,जैसलमेर(ब.संख्या 84) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, पोकरण (ब.संख्या 28) हेतु	112	डाईट दर	1839600	36792
37	जिला कारागृह, जालौर (ब.संख्या 79) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, भीनमाल (ब.संख्या 71) तथा सांचौर (ब.संख्या 36) हेतु	186	डाईट दर	3055050	61101
38	जिला कारागृह, झुन्झुनू (ब.संख्या 221) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, खेतडी (ब.संख्या 39) हेतु	260	डाईट दर	4270500	85410
39	जिला कारागृह,करौली(ब.संख्या 174) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, हिण्डौनसिटी (ब. संख्या 97) हेतु	271	डाईट दर	4451175	89024
40	जिला कारागृह,नागौर(ब.संख्या 131) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, डीडवाना (ब.संख्या 35), मेडतासिटी (ब.संख्या 167) तथा परबतसर (ब.संख्या 62) हेतु	395	डाईट दर	6487875	129758
41	जिला कारागृह,पाली(ब.संख्या 127) एवं अधीनस्थ किशोर बन्दी सुधारगृह जैतारण (पाली) (ब.संख्या 4), उप कारागृह, जैतारण (ब.संख्या 82), बाली(ब.संख्या 79) तथा सोजतसिटी (ब.संख्या 35) हेतु	327	डाईट दर	5370975	107420
42	जिला कारागृह,प्रतापगढ(ब.संख्या 262) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, छोटीसादडी (ब. संख्या 25) हेतु	287	डाईट दर	4713975	94280
43	जिला कारागृह, राजसमंद (ब.संख्या 112) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, भीम (ब.संख्या 11)	123	डाईट दर	2020275	40406
44	जिला कारागृह, सीकर(ब.संख्या 282) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, नीमकाथाना (ब. संख्या 68) एवं फतेहपुर (ब.संख्या 24) हेतु	377	डाईट दर	6192225	123845

45	जिला कारागृह, सिरोही (ब.संख्या 256) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, आबूरोड (ब.संख्या 49) हेतु	305	डाईट दर	5009625	100193
46	उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर हेतु	43	डाईट दर	706275	14126
47	महिला बन्दी सुधारगृह जयपुर हेतु	134	डाईट दर	2200950	44019

नोटः–

1–कार्य निष्पादन प्रतिभूति (जमानता) राशि अनुमानित कुल खरीद राशि के 5 (पाँच) प्रतिशत राशि के बराबर होगी।

2–निविदा के साथ शामिल किये गये समस्त केन्द्रीय, जिला कारागृहों एवं अधीनस्थ उप कारागृहों पर कारागृह की मांग पत्रानुसार संबंधित कारागृह पर ही आपूर्ति देय होगी, जिसके लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क/परिवहन लागत देय नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

अनुसूची "ग"

(बंदियों के लिये प्रतिदिन की डाइट स्केल) निर्धारित मात्रा (ग्राम में)

विवरण		श्रमिक	अश्रमिक
आटा– गेहूं का (1482) या		600	550
चावल परमल (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन)		400	350
दूध– चाय के लिये		50	50
दाल (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन) / कढ़ी (सप्ताह में एक दिन कढी)		90	60
बेसन लकड़ा / लक्ष्मी भोग (कढी हेतु)		20	20
छाछ (कढी हेतु)		150 एमएल	150 एमएल
जीरा (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन) (कढी हेतु)		1	1
मीठी थूली / पोहा / अंकुरित चना / मूंग / नमकीन खींचडी / काला चना (प्रतिदिन आईटम बदल बदल कर कोई एक आईटम)		60	60
मीठी थूली :– दलीया (गेंहू) (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन)		43	43
वनस्पति घी (अशोका / स्कूटर / गगन)		2	2
गुड़		15	15
पोहा :–पोहा (टंच / गोविन्द / मोम चोईस / लहर)		44	44
प्याज		5	5
तेल (चम्बल / फोरच्यून / परम्परा)		4	4
नमक– आयोडाइज्ड (टाटा / निरमा / सूर्या / भास्कर)		2	2
हल्दी सांगली		1	1
राई (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन)		2	2
हरी मिर्च		2	2
नमकीन खिचड़ी :– चावल परमल (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन)		38	38
दाल मूंग (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन)		18	18
नमक– आयोडाइज्ड (टाटा / निरमा / सूर्या / भास्कर)		1	1
हल्दी सांगली		1	1
तेल (चम्बल / फोर्च्यून / परम्परा)		2	2
काला चना :– काला चना (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन)		51	51
तेल (चम्बल / फोरच्यून / परम्परा)		4	4
नमक– आयोडाइज्ड (टाटा / निरमा / सूर्या / भास्कर)		2	2
मिर्च देशी		1	1
हल्दी सांगली		1	1
जीरा (सोरटेक्स एण्ड़ क्लीन)		1	1
चीनी दानेदार एम–31		40	40
चाय (ब्रुंक बाण्ड / एवन / ताजा / लालघोडा / कालाघोडा / रेडलेवल)		4	4
नमक– आयोडाइज्ड (टाटा / निरमा / सूर्या / भास्कर)		20	20
हरी सब्जी– ऋतु अनुसार		200	200
तेल– सब्जी हेतु (चम्बल / फोरच्यून / परम्परा)		20	20
मसाले–हल्दी साबुत, साबुत लाल मिर्च, साबुत धनिया, लहसुन सूखा।		15	15
चटनी– हरा धनिया / पोदीना मसाले सहित		10	10

नोटः—महानिदेशालय कारागार जयपुर के आदेश क्रमांक 50378—483 दिनांक 31.12.15 एवं 50541—145 दिनांक 05.01.16 के संशोधनानुसार एवं विभागीय आदेश 9579—9686 दिनांक 11.05.16 के अन्तर्गत श्रमिक/अश्रमिक बन्दियों को मिठाई (स्वीट आईटम) प्रत्येक रविवार को दोपहर के भोजन के साथ बदल—बदल कर दिये जाने है। जिसके लिए उक्त आदेश के अनुसार सामग्री की मात्रा निर्धारित की गई है, जो उक्त डाईट के साथ देनी होगी (संलग्न)।

अनुसूची ''घ''

(ऋतु अनुसार प्रदाय की जाने वाली हरी सब्जियों का वर्गीकरण)

मार्च से जून	जुलाई से अक्टूबर	नवंबर से फरवरी
तर ककड़ी	भिंडी	पालक
खीरा	ग्वार फली	पत्ता गोबी
पालक	तुरई	फूल गोबी
काशीफल	काशीफल	मटर
टमाटर हरा व लाल	पालक	गाजर
लौकी	लौकी	मूली
टिंडसी	तर ककडी	अरबी
प्याज हरा व सूखा	ककडी/काचरी	सेम फली
आलू	टिंडसी	प्याज हरा/ सूखा
कैरी	बैंगन	टमाटर हरा व लाल
चंदलाई	आलू	आलू
तुरई	अरबी	बैंगन
पत्ता गोबी	कैरी	भिंडी
बैंगन	शलगम	
हरा धनिया/ हरा पोदीना	हरा धनिया/ हरा पोदीना	हरा धनिया/ हरा पोदीना

नोट — मांग पत्र में ऋतु अनुसार वर्गीकृत सब्जियों में से तीन सब्जियों का नामोल्लेख किया जायेगा जिनमें में से प्रदायक द्वारा कोई एक सब्जी दी जा सकेगी।

अनुसूची "ङ"

(महिला सुधारगृह में निरूद्ध महिला बन्दियों के साथ रहने वाले बच्चों की डाईट स्केल)

वस्तु का नाम	आयु	मात्रा
दूध	6 माह तक	600 ग्राम
	6 माह से 6 वर्ष तक	500 ग्राम
चीनी	6 माह से 3 वर्ष तक	25 ग्राम
	3 वर्ष से 6 वर्ष तक	30 ग्राम
तेल	6 माह से 1 वर्ष तक	10 ग्राम
	1 वर्ष से 3 वर्ष तक	20 ग्राम
	3 वर्ष से 6 वर्ष तक	25 ग्राम
आटा, दलिया, खिंचडी, चावल	6 माह से 1 वर्ष तक	45 ग्राम
	1 वर्ष से 3 वर्ष तक	100 ग्राम
	3 वर्ष से 6 वर्ष तक	175 ग्राम
दाल	6 माह से 1 वर्ष तक	15 ग्राम
	1 वर्ष से 3 वर्ष तक	30 ग्राम
	3 वर्ष से 6 वर्ष तक	45 ग्राम
फल	6 माह से 6 वर्ष तक	100 ग्राम
जडदार सब्जी	6 माह से 3 वर्ष तक	50 ग्राम
	3 वर्ष से 6 वर्ष तक	100 ग्राम
सब्जी	6 माह से 1 वर्ष तक	25 ग्राम
	1 वर्ष से 6 वर्ष तक	50 ग्राम

अनुसूची "च"

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

क्रमांकः सामान्य/10/64-65/पार्ट-3/9579-9686 दिनांकः 11.05.2016

:: आदेश ::

डी.बी. सिविल रिट पिटीशन (पीआईएल) संख्या 2808/2012 सूओ-मोटो में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2016 की पालना में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(38)गृह-12/कारा/2016 दिनांक 27.04.2016 के द्वारा राज्य की समस्त केन्द्रीय, जिला व उप कारागृह में निरूद्ध बंदियों को सप्ताह में एक बार (रविवार) को मिठाई (स्वीट आइटम) दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त के अनुक्रम में राज्य की समस्त कारागृहों में निरूद्ध श्रमिक/अश्रमिक बंदियों को निम्नांकित मिठाई (स्वीट आइटम) प्रत्येक रविवार को दोपहर के भोजन के साथ बदल-बदल कर दिये जाने के आदेश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते है:-

1. हलवा

क्र.सं.	नाम सामग्री	मात्रा ग्राम (प्रति बन्दी)
1.	आटा	75 ग्राम
2.	चीनी	60 ग्राम
3.	वनस्पति घी	55 ग्राम
4.	खोपरा बुरादा	05 ग्राम
5.	गैस	23 ग्राम

2. खीर

क्र.सं.	नाम सामग्री	मात्रा ग्राम (प्रति बन्दी)
1.	चावल	20 ग्राम
2.	चीनी	25 ग्राम
3.	दूध	150 ग्राम
4.	खोपरा	03 ग्राम
5.	साबुदाना	01 ग्राम
6.	गैस	23 ग्राम

उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

-Sd-
(अजीत सिंह)
महानिदेशक कारागार
राजस्थान जयपुर